



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नाबालिंग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/-रु
के अर्थदण्ड का सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 383/2017 धारा-354बी भा०द०सं० व 08 पाक्सो एक्ट व 3(1)11 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रफीक पुत्र गामा उर्फ जमील अहमद निवासी ग्राम भंभौरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ रमेशनाथ
सिंह



पैरोकार
थाना - मौदहा
का० शुभम यादव